रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.) 72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 60] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 12, 1987/माघ 23, 1908
No. 60] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 12, 1987/MAGHA 23, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 12 फरवरी, 1987

अधिसूचना

सं. 43/87-सीमाशुल्क

का. आ. 76(अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा राज्य में गोपालपुर पत्तन को इल्मेनाइट की लदाई के लिए सीमाशुल्क पत्तन के रूप में नियत करती है।

[फा. सं. 574/2/85-एल. सी. II]

एम. मायकल, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 12th February, 1987

NOTIFICATION

No. 43|87-CUSTOMS

S.O. 76(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government hereby appoints Gopalpur Port in the State of Orissa to be a Customs Port for loading of Ilmenite.

[F. No. 574|2|85-L.C.II]

M. MICHAEL, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1987